रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 436] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 4, 1970/अग्रहायण 13, 1892

No. 436] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 4, 1970/AGRAHAYANA 13, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th December 1970

S.O. 3893.—In pursuance of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, the Election Commission hereby makes the following amendment in its notification No. 56/69-II(S.O. 89), dated the 4th January, 1969, namely:—

In Table 3, against the entry "8. Madhya Pradesh" for the entries "(6) Cultivator winnowing grain and (7) Haldhar" the entries "(6) Cultivator winnowing grain, (7) Haldhar and (8) Railway Engine" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 30th November, 1970.

[No. 56/70-XIV.]

By Order,

K. S. RAJAGOPALAN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर 1970

एस० ओ० 3893.—निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 56/69-2 (का०आ० 89), तारीख 4 जनवरी, 1969 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

सारणी 3 में, "8—मध्य प्रदेश" प्रविष्टि के सामने की "(6) अनाज बरसाता हुआ किसान तथा (7) हलधर" प्रविष्टियों के स्थान पर "(6) अनाज बरसाता हुआ किसान, (7) हलधर तथा (8) रेलवे इंजन" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, तथा यह 30 नवम्बर, 1970 से प्रतिस्थापित हुई मानी जाएंगी।

[संख्या 56/70-XIV.]

आदेश से,

के० एस० राजगोपालन, सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970